FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

घासी बनाम समरूबाई

किस्म मुकद्दमा 53 वाद नं. 103 / सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट नाथुजा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि मौजा नाथुजा की रश्मा संख्या 92 में बंटवारा निशानुसार किया जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा नाथुजा की रश्मा संख्या 92 ① घासी पिता साला माली ② समरू बाई पति लक्ष्मण माली आ. नं. रकबा ले? 265/1 0.19 0.57 263/1 0.43 1.29 2 0.62 1.86 आ. नं. रकबा ले 265/1 0.19 0.57 263/1 0.44 1.32 02 0.63 1.89 इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जितेन्द्र कुमार पाण्डे) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official